Thirdly, there is a serious issue in relation to the Paradip Port; this steel plant is supposed to be built as a captive plant for its use. Already, there is sea erosion near Paradip Port. This will adversely affect the functions of the Port and also lead to further sea erosion in that area.

Fourthly, there is permission sought to be given to the Posco Plant to extract iron ores even before the Plant is set up and commissioned. This seems to be very outrageous because the Posco Plant is planning to take iron ores to its mother-plant in Korea. I do not know what is the Mineral Policy of the Government and how it can allow Posco to extract and take away iron ores before the Plant is commissioned in that area.

Fifthly, it is an issue concerning forests and environment. This plant is going to very seriously affect the forests and environment in that area. I do not know why the Union Ministry of Environment and Forests is keeping quiet when such a thing is going on.

Sixthly, the people living in that area have proposed an alternative site. I do not know why the Government is not considering that alternative site. If the Union Government does not intervene at this point of time, I am afraid, the situation will get out of control and anything may happen there. Already, clashes are taking place and hundreds of people have been hurt. Several people have been seriously injured; they are all being treated and there is a very grave situation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI D. RAJA: There is a tense situation in Jagatsinghpur district of Orissa and this situation cannot be allowed to remain as it is. Anything may happen. Already there are armed clashes between the people. So, I think, the Union Government will have to take note of this emergent situation in that part of Orissa and something has to be done without any further delay. Otherwise, we will be facing a very serious armed resistance in the State of Orissa.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with what the hon. Member has said.

Report of Possible Terror Attack at Tirupati

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) **:** उपसभापति महोदय, मैं अपने इस ध्यानाकर्षण के बारे में जो विषय रखने जा रहा हूं, वह यह है कि ऐसी सूचनाएं मिली है कि तिरूपति मंदिर पर आक्रमण होने की संभावना है । लश्करे-तौयबा के लोग पकड़े गये हैं, वे आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पकड़े गये हैं, वे जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं, उनके पास से 88 हजार का कैश मिला है, दो मोटोरोला सेल मिले है, इलेक्ट्रोनिक फोटो आईडेंटिटी कार्ड मिले है । जो रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार वे व्यक्ति यहां से, कश्मीर से पाकिस्तान गये और वापिस नेपाल होकर यहां आये हैं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूं कि तिरूपति मंदिर विश्व में रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों के लिए श्रध्दा का स्थान है और ऐसी घटनाएं वहां होने से देश पर बहुत बड़ा प्रभाव होगा । मेरा सरकार से निवेदन हैं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये, इसकी छानबीन की जाये और इसको रोकने का प्रयास किया जाये । धन्यवाद ।

श्री अजय मारू (झारखंड) **:** उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको संबध्द करता हूं ।

Demands of Disabled Persons

SHRIMATI N.P. DURGA(Andhra Pradesh): Sir, I would like to draw the attention of the House on some of the demands of disabled persons. Sir, in 1982, the UN has decided to observe every December 3rd as the World Day of Disabled. But, till now, disabled people are not yet fully considered within development issues. They are still excluded from our society in spite of effective disability legislation is being in place. They are demanding for paying an amount of Rs. 1500 as pension. Now, they are being given reservation of 3 per cent in employment and education. But this is not sufficient looking at their population. So, their demand is that it should be increased to 9 per cent. They should be provided rice at the rate

at which it has been provided to the BPL families. Children who are below ten years and are hearing impaired should be provided with cochlear implantation so that they can get hearing back. They should be provided with loans at 25 paise so that they can start some self-employment units and earn their livelihood. They should be provided reservation in promotions and also in judiciary. Sir, I request the Government of India to sympathetically consider their demands so that they can move ahead in the society with dignity and the goal of equality, as enshrined under the Constitution, is achieved. Thank you.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, I associate with it.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate with it.

Exemption on Transportation of Animals during Bakar ED

श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश) **:** थैंक्यू सर। सर, मैं आपका और हाउस का ध्यान एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस मुल्क के अन्दर कानून सबके लिए बराबर है। Slaughtering हर मजहब के लोग करते है। कोई जानवरों को ज़बह करता है, कोई उसे करंट लगा कर मार देता है, कोई direct उसकी पूरी गर्दन निकाल देता है। इस तरह का कानून इस देश के अन्दर है। लेकिन जो कानून बना हुआ है, उसमें बहुत जगह exemption भी मिला हुआ है। आज जब जानवरों को लेकर निकलते हैं, तो इस देश में जो बहुत सारे संगठन हैं, अब बकरीद का मौसम आ रहा है, वे संगठन बकरीद का मौसम आते ही बहुत ज्यादा active हो जाते हैं और जानवरों की गाडियों को रोक जानवर उतार लिए जाते है। इस देश के अन्दर एक लॉ है, Cruelty to Animals Act, 1960, जिसके अनुसार जानवरों को हिफाजत के साथ ले जाना चाहिए। जानवरों की हिफाजत होनी चाहिए, उनके साथ जुल्म नही होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर slaughtering allowed है। बकरीद में जो जानवर जाते है, अगर उनमें से किसी का पैर टूट गया, किसी का चमड़ा कट गया, हड्डी टूट गई, सींग टूट गई, तो वह जानवर कुर्बानी के काबिल नही रहता। जो व्यापारी उसे ले जा रहा है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चमड़ा बेचते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर चमड़ा कट गया, तो फिर उसका दाम 70 परसेंट वैसे ही कम हो जाता है। व्यापारी खुद इस बात का ख्याल रखता है कि मैं जिन ट्रकों में जानवर ले जा रहा हूँ, कहीं ज्यादा जानवर हो गए, कहीं जानवर खराब हो गए, सींग टूट गई या उसके अन्दर कोई ऐब निकल गया, तो उस जानवर की कुर्बानी नही होगी, उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसी की आड़ लेकर कुछ संगठन ट्रक से जानवरों को उतार लेते है और उन्हें उतार कर, उनका एक संगठन है 'पंजड़ा पोल', उसके अन्दर जानवरों को ले जाकर रख देते हैं और फिर व्यापारियों से कहते है कि उस पर जितना खर्च हुआ है, वह लाकर दो। फिर उस पर मुकदमा होता है। लेकिन आज तक यह रेकार्ड है कि 'पंजड़ा पोल' से किसी को कोई जानवर वापस नही मिला। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि वह संगठन, अगर सड़क पर 5 कुत्ते मर जाएँ, तो बहुत चिल्लाता है, लेकिन अगर सड़क पर 5 आदमी मर जाएँ, तो उन्हें उसकी फ़िक्र नही रहती है। अल्लाह का करम है, ऊपरवाले की मेहरबानी है कि बर्ड फ्लू में कोई मरा नही। लेकिन जब बर्ड फ्लू आया, तो मुर्गियों को बोरी में भर कर जिन्दा जमीन में डाल दिया गया। कुछ जगह ऐसा वाकया हुआ कि मुर्गियाँ जमीन खोद कर बाहर आ गई। उस पर कोई नही चिल्लाया। सर, आप मुम्बई की रेलवे में जाकर देखें, तो जैसे लोग खड़े होते है, इंसान नही, जानवरों से बुरी हालत रहती है। कोई संगठन इस पर नही चिल्लाता । ...(**व्यवधान**)... सर, मेरी बात खत्म होने दीजिए। जेल के अन्दर, जहाँ बैरक में 60 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ 200 लोग रहते है। वे बदन से बदन लगा कर सोते है। इस पर कोई चिल्लाता नही । सर, मेरा यह कहना है कि इस मुल्क में exemption मिला हुआ है। जैसे noise pollution के नाम पर 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर नही चल सकता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से छूट दे सकती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को जितनी देर चाहो, लाउड स्पीकर चलाओ। इसी तरह से मेरा कहना है कि आज किसान बहुत परेशान हैं। आज जो किसान जानवर पालता है , जब वह बेचारा जानवर लेकर जाता है, तो उसके जानवर रोक लिए जाते है, उसको परेशान किया जाता है। कम-से-कम बकरीद के मौसम में जो जानवर जाते हैं, उन पर exemption मिलना चाहिए। व्यापारी को खुद फिक्र है कि उसके जानवर कहीं खराब तो नही